सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 46/2019 दायर तारीख :– 12-07-2019

1. बनवारी लाल पुत्र सरदारा गुर्जर निवासी मोहना की ढाणी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. मोहन गुर्जर की ढाणी दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड तहसील विराटनगर जरिये सचिव श्री बनवारी लाल गुर्जर पुत्र सरदारा गुर्जर मोहना की ढाणी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. पतासी देवी पत्नि अर्जुन लाल गुर्जर निवासी मोहना की ढाणी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। —— वादीगण

बनाम

1. मिश्री देवी पत्नि सेवाराम निवासी मोहना की ढाणी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. गणेश पुत्र हनुमान जाति अहीर (यादव) निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. उपपंजियक कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि बंटवाराएवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता वादीगण
श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 02.09.2020

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भामोद के खाता संख्या 151 व 369 के हाल खसरा नंबर 619/0.06, 620/0.05, 622/0.16, 624/0.18, 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 ने जरिए रजिस्ट्री हिस्सा 586/775 भूमि खरीदी है, जिसका वादी संख्या 1 खातेदार है इसके बाद वादी संख्या 2 ने दुग्ध उत्पादक के लिए खसरा नंबर 620 रकबा 0.05 का हिस्सा 1/2 दिनांक 16.04.2019 को खरीद लिया है। यह है कि वादी संख्या 3 ने दिनांक 16.04.2019 को खसरा नंबर 619/0.06, 622/0.16, 624/0.18, 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15 कुल रकबा 1.50

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 का हिस्सा 6/25 यानि कुल 0.18 हैक्टेयर भूमि खरीद लिया है, जिसका अभी तक खाता नहीं खुला है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा खसरा नंबर 620 में 1/2 है एवं शेष हिस्सा 622 में है। इस प्रकार दोनों खसरा नंबरों में 13/155 है जो 620 में दक्षिण की तरफ व 622 में दक्षिण की तरफ है, जो 620 व 622 में पूर्व–पश्चिम का बंटवारा है, दक्षिण की तरफ प्रतिवादी सख्या 1 का है और उत्तर में वादी संख्या 1 का है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा खसरा नंबर 619/0.06 में है। इस प्रकार उपरोक्त सभी खसरा नंबरान की मौका स्थिति है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारजन ने दिनांक 07.07.2019 को वादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 620 को जबरन काश्त करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे शामलात काश्त करना संभव नहीं हो रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम भामोद के हाल खसरा नंबर 619/0.06, 620/0.05, 622/0.16, 624/0.18, 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा कर वादी संख्या 1 को खसरा नंबर 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15, 622/0.16 में 0.0550 उत्तर की ओर एवं वादी संख्या 2 को 619/0.06, 620/0.05 में हिस्सा 1/2 उत्तर की ओर एवं शेष हिस्सा 622/0.01050 दक्षिण की ओर, वादी संख्या 3 को 624/0.18 हैक्टेयर दिये जाकर डिक्री प्रतिवादीगण की खिलाफ फरमाई जावे। व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इसका अमल दरामद करवाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम भामोद के खाता संख्या 369 संवत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम भामोद के खाता संख्या 151 संवत् 2073–2076, नकल नक्शा ट्रेस भामोद, नकल विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2019 आदि पेश किये।
4. तारीख पेशी दिनांक 13.02.2020 को अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 26.08.2020 को प्राप्त हुआ है।
6. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम भामोद के खाता संख्या 151 व खाता संख्या 369 के हाल खसरा नंबर 619/0.06, 620/0.05, 622/0.16, 624/0.18, 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। यह है कि वादी संख्या 2 ने खसरा नंबर 620 रकबा 0.05 का हिस्सा 1/2 जरिए रजिस्ट्री क्रय किया है। आराजी मुतनाजा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नही होने के कारण शामलाती काश्त करना सभंव नहीं हा रहा है। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल निमय 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है। पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति पेश की, तथा वादीगण मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा किये जाने पर सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गणेश पुत्र हनुमान जाति अहीर सा. देह खातेदार	619/0.06 हैक्टेयर
2	पतासी देवी पत्नि अर्जुन लाल जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	624/0.18 हैक्टेयर
3	मिश्री देवी पत्नि सेवाराम जाति गुर्जर सा. देह	620/1/0.0250, 622/1/0.1050 हैक्टेयर
4	दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड मोहन गुर्जर की ढाणी सा. भामोद खातेदार जरिए बनवारी लाल पुत्र सरदारा जाति गुर्जर	620/0.0250 हैक्टेयर
5	बनवारी लाल पुत्र सरदारा जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन OBC शाखा पालडी	622/0.0550, 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :— राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. बनवारी लाल पुत्र सरदारा गुर्जर निवासी मोहना की ढाणी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. मोहन गुर्जर की ढाणी दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड तहसील विराटनगर जरिये सचिव श्री बनवारी लाल गुर्जर पुत्र सरदारा गुर्जर मोहना की ढाणी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. पतासी देवी पत्नि अर्जुन लाल गुर्जर निवासी मोहना की ढाणी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। —— वादीगण

बनाम

1. मिश्री देवी पत्नि सेवाराम निवासी मोहना की ढाणी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. गणेश पुत्र हनुमान जाति अहीर (यादव) निवासी भामोद तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
3. उपपंजियक कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। ——प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 46/2019 दावा बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता वादीगण व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वाके ग्राम भामोद के हाल खसरा नंबर 619/0.06, 620/0.05, 622/0.16, 624/0.18, 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर का विधिक बंटवारा कर वादी संख्या 1 को खसरा नंबर 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15, 622/0.16 में 0.0550 उत्तर की ओर एवं वादी संख्या 2 को 619/0.06, 620/0.05 में हिस्सा 1/2 उत्तर की ओर एवं शेष हिस्सा 622/0.01050 दक्षिण की ओर, वादी संख्या 3 को 624/0.18 हैक्टेयर दिये जाकर डिक्री प्रतिवादीगण की खिलाफ फरमाई जावे। व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इसका अमल दरामद करवाया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया। वादीगण का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर उभय पक्षकारान सहमत है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	गणेश पुत्र हनुमान जाति अहीर सा. देह खातेदार	619/0.06 हैक्टेयर
2	पतासी देवी पत्नि अर्जुन लाल जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	624/0.18 हैक्टेयर
3	मिश्री देवी पत्नि सेवाराम जाति गुर्जर सा. देह	620/1/0.0250, 622/1/0.1050 हैक्टेयर
4	दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड मोहन गुर्जर की ढाणी सा. भामोद खातेदार जरिए बनवारी लाल पुत्र सरदारा जाति गुर्जर	620/0.0250 हैक्टेयर
5	बनवारी लाल पुत्र सरदारा जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन OBC शाखा पालडी	622/0.0550, 782/0.45, 783/0.50, 786/0.15 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य.......................... बाबत ....शून्य....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 02.09.2020** को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर